

प्रश्न	आकवि-3	<b>भारतीय आय-कर विवरणी</b> (कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए) <b>कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए</b> (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	0	-	2

## भाग क- जी.ई.एन

## साधारण

व्यक्तिगत सूचना	पहला नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०
	फ्लैट / दरवाजा / ब्लाक सं०	परिसर / भवन / ग्राम का नाम		प्रास्थिति (विहित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्य-ट <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कु टुंब
	सड़क / गली / डाक घर	जन्म तिथि / स्वरूप (तिथि / मास / व-ी) / /		
	क्षेत्र / अवस्थान	आधार संख्यांक (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र है)		
	नगर / शहर / जिला	राज्य	पिन कोड / जिप कोड	
		देश		
	निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं० / मोबाइल नं० 1		मोबाइल नं० 2	
	ई मेल पता-1 (स्वयं का)		ई मेल पता-2	
	क्या आपके पास विधिमान्य पासपोर्ट है ?	हां/नहीं (ड्राप डाउन का उपबंध किया जाना है)	यदि हां, पासपोर्ट संख्यांक दें	
	(क)	धारा ...के अधीन फाइल की गई(सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणा, <input type="checkbox"/> 119(2)(ब)- विलंब की माफी के पश्चात्	
	या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153क, <input type="checkbox"/> 153ग		
(ब)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत आय की विवरणी दायर कर रहे हैं लेकिन अन्यथा आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है? -(सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: केवल तभी भरी जानी चाहिए यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत उल्लिखित एक अथवा अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी भर रहे हैं।]			

## फाइल करने की प्रास्थिति

(खi)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(खii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(खiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(ग)	यदि पुनरीक्षित/ त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)	/ /	
(घ)	यदि धारा 139 (9) / 142 (1) / 148/153 क / 153 ग के अंतर्गत नोटिस या धारा 119 (2) (ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर के रूप में दायर किया गया है, तो यूनिफ नंबर / डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना / आदेश की तारीख दर्ज करें, या यदि धारा 92गघ के अंतर्गत दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्य समझौते की तारीख दर्ज करें	(यूनिफ नंबर) / /	
(ड)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(क) निवासी	<input type="checkbox"/> आप पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क) ]
			<input type="checkbox"/> आप पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग) ] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों ]
		(ख) निवासी किंतु पर साधारण तौर पर निवासी नहीं।	<input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क) ] <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क) ]
		(ग) अनिवासी	<input type="checkbox"/> आय पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी थे (i) कृपया पूर्व वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें। -
			क्रम सं. निवास की अधिकारिता (ओं) करदाता (ओं) की पहचान संख्या
			1
			2
			(ii) भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें -
			पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में) पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)

	भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदू, अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(घ) <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी
(च)	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायता का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(छ)	क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं ? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)	

(ब)	क्या यह विवरणी एक प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है?	
	(सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें	
	(1)	प्रतिनिधि का नाम
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन का उल्लेख किया जाए)	
(3)	प्रतिनिधि का पता	
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/ आधार संख्या	

(ट)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें।-													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके अंश सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध						निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)				
(ठ)	क्या आप फर्म में भागीदार है? (सही का निशान लगाएं) (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -													
	फर्म का नाम						स्थायी लेखा सं.							
(ड)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किए हैं? सही का निशान लगाएं। (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
	यदि हां, तो कृपया साधारण अंशों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए अंश					वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष	
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदाय/ क्रय की तारीख	प्रतिअंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य(नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ढ)	अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ण)	क्या निर्धारिती अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थिति है और संपरिवर्तनीय विदेश मुद्रा में पूरी तरह से आय प्राप्त करता है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(क2)	क्या निर्धारिती केवल 44कड / 44ख / 44खख / 44कघ / 44कघक / 44खक / 44खख के तहत आय की घोषणा कर रहा है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(क2i)	यदि नहीं, तो वर्ष के दौरान कुल बिक्री / कारोबार / व्यापार की सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													



(iii)			
-------	--	--	--

## भाग क - तुलनपत्र

मालिकाना कारोबार अथवा व्यवसाय का 31 मार्च 2020 को तुलन-पत्र

(ऐसे मामले में जहां नियमित वही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें )

निधियों का उपयोग	1	स्वामी की निधि			
	क	स्वामी की पूंजी			क
	ख	आरक्षित और अधिशेष			
		I	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	खा	
		ii	पूंजी आरक्षित	खाii	
		iii	कानूनी आरक्षित	खाiii	
		iv	कोई अन्य आरक्षित	खाiv	
		V	योग (खा + खाii + खाiii + खाiv)	खv	
	ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क+खv)			1ग
	2	ऋण निधियां			
	क	प्रतिभूत ऋण			
		i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i	
		ii	रूप में ऋण		
		अ	बैंकों से ऋण	iiअ	
		आ	अन्य से	iiआ	
		इ	योग ( iiअ + iiआ)	iiइ	
	iii	योग (का + iiइ)		काiii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है )			
		i	बैंकों से ऋण	खा	
		ii	अन्य से	खाii	
iii	योग (ख i + खii)		खiii		
ग	योग ऋण निधि (काiii + खiii)			2ग	
3	आस्थगित कर दायित्व			3	
4	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग +3)			4	
1	स्थिर आस्तियां				
क	सकल ०: ब्लाक		1क		

	ख	अवक्षयण	1ख		
	ग	शुद्ध ब्लाक (क- ख)	1ग		
	घ	चल रहा पूंजी कार्य	1घ		
	ङ	योग (1ग + 1घ)		1ङ	
2	विनिधान				
	क	दीर्घकालिक विनिधान			
		i सरकारी और अन्य प्रतिभूनियां - कोट की गई	का		
		ii सरकारी और अन्य प्रतिभूनियां - कोट न की गई	काii		
		iii योग (का + काii)		काiii	
	ख	अल्पकालिक विनिधान			
		i साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खा		
		ii अधिमानी शेयर	खाii		
		iii डिबेंचर	खाiii		
		iv योग (खा + खाii + खाiii)		खाiv	
	ग	कुल विनिधान (काiii + खाiv)			2ग
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम				
	क	चालू आस्तियां			
		i बीजक			
		अ भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ		
		आ कच्ची सामग्री	iआ		
		इ कार्यरत भंडार	iइ		
		ई तैयार माल / व्यापार माल	iई		
		उ योग (iअ + iआ + iइ+ iई)		iउ	
		ii अन्यान्य ऋणी		काi	
		iii नकद और बैंक अतिशेष			
		अ हस्तगत नकदी	iiiअ		

		आ बैंक के पास अतिशेष	iiiआ		
		इ योग (iiiअ + iiiआ)			iiiइ
	iv	अन्य चालू आस्तियां			काiv
	V	कुल चालू आस्तियां (iउ + काii + iiiइ + काiv)			कv
	ख	ऋण और अग्रिम			
	i	नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खा		
	ii	निकोप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खाii		
	iii	राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खाiii		
	iv	योग (खा + खाii + खाiii )			खाiv
	ग	चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खाiv)			3ग
	घ	चालू दायित्व और उपबंध			
	i	चालू दायित्व			
		अ अन्यान्य लेनदार	iअ		
		आ पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ		
		इ उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	iइ		
		ई उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध्य नहीं हैं	iई		
		उ योग (iअ + iआ + iइ + iई)			iउ
	ii	उपबंध			
		अ आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
		आ छुट्टी भुनाने / अधिवर्षिता / उपदान के लिए उपबंध	iiआ		
		इ अन्य उपबंध	iiइ		
		ई योग (iiअ + iiआ + iiइ)			iiई
	iii	योग (iउ + iiई)			घiii
	ङ	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - घiii)			3ङ
4	क	अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
	ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		
	ग	लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष	4ग		
	घ	योग (4क अ 4ख अ 4ग)			4घ
5		निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ + 4घ)			5

कोई लेखा मामला नहीं	6	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)		
	क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम	6क	
	ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम	6ख	
	ग	व्यापारगत स्टाक की कुल रकम	6ग	
	घ	नकदी बकाया की रकम	6घ	

भाग क- विनिर्माण लेखा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्माण लेखा ( जहां नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है उस दशा में मद 1 से 3 भरें, मद 61 से 64 भरें, जैसा लागू हो )

1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन			
क	आरंभिक सूची			
	i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टाक	i	
	ii	चालू काम का आरंभिक स्टाक	ii	
	iii	कुल (i + ii)	कiii	
ख	ऋय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)			ख
ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
घ	प्रत्यक्ष व्यय (घा + घii + घiii)			घ
i	आवक वहन व्यय		i	
	विद्युत आर ईंधन		ii	
	अन्य प्रत्यक्ष व्यय		iii	
ड.	कारखाने का उपरी खर्च			
I	अप्रत्यक्ष मजदूरी		i	
	कारखाना किराया और दरें		ii	
	कारखाना बीमा		iii	
	कारखाना ईंधन और विद्युत		iv	
	कारखाने का साधारण व्यय		v	
	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण		vi	
	कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)		ड.vii	
च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)			1च
2	बंद स्टाक			
i	कच्ची सामग्री		2i	

	ii	चालू काम	2ii		
	कुल (2i + 2ii)			2	
3	माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)			3	

भाग -क व्यापारिक  
लेखा ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 64 भरें, यथा लागू)

प्रत्यय	4	संक्रियाओं से राजस्व			
	क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो			
	i	माल का विक्रय	i		
	ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
	iii	अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)			
	क		iiia		
	ख		iiib		
	ग	कुल (iii क + iii ख)	iiic		
	iv	कुल (i + ii + iii ग)			कiv
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति			ख
ग	विक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर				
i	संघ उत्पाद शुल्क	i			
ii	सेवा कर	ii			
iii	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	iii			
iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर ( सी जी एस टी)	iv			
v	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	v			
vi	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	vi			
vii	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	vii			
viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii			
ix	कुल (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			गix	
घ	संक्रियाओं सले कुल राजस्व (कiv + ख + गix)			4घ	
5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5	
6	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)			6	
7	तैयार माल का आरंभिक स्टॉक			7	
8	क्रय (सुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			8	
9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9	

व्यापारिक लेखा के  
लिए विकल्प

	i	आवक वहन व्यय	9i		
	ii	विद्युत और ईंधन	9ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	9iii		
10	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय ।				
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रति शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर ( सी जी एस टी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	10viii		
	ix	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	10ix		
	x	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	10x		
	xi	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi		
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii
11	माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित				11
12	कारबार / वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)				12

भाग क-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू 61 से 65 भरें)

लाभ और हानि लेखा में जमा

13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ				13
14	अन्य आय				
	i	किराया	i		
	ii	कमिशन	ii		
	iii	लाभांश आय	iii		
	iv	ब्याज आय	iv		
	v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v		
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		

	vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	vii		
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	viii		
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)	ix		
	x	कृषि आय	x		
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क	xia		
		ख	xib		
		ग	योग (xiक + xiख)	xic	
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii
	15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)			15
शान्त जल सारणी 13 से विकलन	16	बर्हिगामी माल भाडा			16
	17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग			17
	18	विद्युत और ईंधन			18
	19	किराया			19
	20	भवनों की मरम्मत			20
	21	मशीनरी की मरम्मत			21
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर			
	i	वेतन ओर मजदूरी	22i		
	ii	बोनस	22ii		
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
	v	छुट्टी यात्रा फायदा	22v		
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	22vii		
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
	x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	22x		
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i to 22x का योग)			22xi
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं	

		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख			
23	बीमा					
	i	चिकित्सा बीमा	23i			
	ii	जीवन बीमा	23ii			
	iii	कीमेन्स बीमा	23iii			
	iv	अन्य बीमा, जिसके अंतर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	23iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय					24
25	मनोरंजन					25
26	सत्कार					26
27	सम्मेलन					27
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)					28
29	विज्ञापन					29
30	कमीशन					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)			30iii	
31	स्वामिस्व					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)			31iii	
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)			32iii	
33	होटल, बोर्डिंग और वासा					33
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय					34
35	विदेशी यात्रा व्यय					35
36	वाहन व्यय					36

37	टेलीफोन व्यय			37		
38	अतिथि गृह व्यय			38		
39	क्लब व्यय			39		
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय			40		
41	छात्रवृत्ति			41		
42	दान			42		
43	संदान			43		
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर)					
	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i			
	ii	सेवा कर	44ii			
	iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii			
	iv	उपकर	44iv			
	v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v			
	vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi			
	vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii			
	viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii			
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix			
	x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x		
45	संपरीक्षा फीस				45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	i		i			
	ii		ii			
	iii	कुल (i + ii)		46iii		
47	डूबा ऋण (ऐसे व्यक्ति का पेन/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबे ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)					

i1										47i1	
i2										47i2	
i3										47i3	
	अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। कुल (47i1+47i2+47i3)									47i	
ii	अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पेन/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबंधित करें)									47ii	

	iii	अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)	47iii		
	iv	कुल डूबा ऋण(47i + 47ii + 47iii)		47iv	
48		डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध		48	
49		अन्य उपबंध		49	
50		ब्याज, अवक्षयण और कर के पूर्व लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49) ]		50	
51		ब्याज			
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी केलिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	कुल (i + ii)		51iii	
52		अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण		52	
53		करों के पूर्ण सुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)		53	
कर और विनियोग के लिए उपबंध	54	चालू कर के लिए उपबंध		54	
	55	आस्थगित कर का प्रावधान		55	
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)		56	
	57	पूर्व वर्ष से आग अतिशेष		57	
	58	विनियो केलिए उपलब्ध रकम (56 + 57)		58	
	59	आरक्षित और अधिशेद के लिए अंतरित		59	
	60	स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रनीत अतिशेष (58 – 59)		60	
	रू	61	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना		
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
(i)		सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (iक + iख)			61i
(क)		निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	iक		
(ख)		कोई अन्य रीति	iख		
(ii)		धारा 44 क घ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iiक + iiख)			61ii
(क)		61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	iiक		
(ख)		61iख का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	iiख		
टिप्पण- यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, दो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।					
62	धारा 44कघ के अधीन वृत्ति से उपधाराणात्मक आय की संगणना				

क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
(i)	सकल प्राप्तियाँ		62i
(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधारणात्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है उनमें से जो भी अधिक हो )		62ii
टिप्पण – यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।			
63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधारणात्मक आय की संगणना		
क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण

क्रम सं.	माल वहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/किराया	माल वहन की टन भार क्षमता (मिटीक टन में)	महीनों की संख्या जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/किराया पर दिया गया था।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधारणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति माह प्रति माह प्रति टन 1000 रु0 दी कर से संकलित या अन्य 7500 रु0 प्रति माह की दर से या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
	कुल				
आवश्यकतानुसार पंक्ति में ब्यौरा भरे (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
(iii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधारणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग ]				63(iii)
टिप्पण – यदि लाभ धारा 44कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व/पट्टे/किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।					

64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।			
(i)	कारबार पर लेजाने वाले निर्धारिती के लिए			
क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	क1		
	1 निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2 कोई अन्य रीति	क2		
ख	सकल लाभ	ख		
ग	व्यय	ग		

	घ शुद्ध लाभ			64i	
	(ii) वृत्ति पर ले जाने वाले निर्धारिती के लिए				
	क कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	iiia			
	1 निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क 1			
	2 कोई अन्य रीति	क 2			
	ख सकल लाभ				
	ग व्यय				
	घ शुद्ध लाभ			64ii	
	(iii) कुल लाभ(64i + 64ii)			64iii	
65	I सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवत			65i	
	ii सकल लाभ			65ii	
	iii खर्च यदि कोई हो			65iii	
	iv सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)			65iv	

भाग क - अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (आज्ञापक है, यदि धारा 44 ख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है अन्य भरने के लिए यदि लागू हो )

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति <input type="checkbox"/> नकद	(चिह्नित करें)	<input type="checkbox"/> वाणिज्यिक
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है <input type="checkbox"/> नहीं	(चिह्नित करें)	<input type="checkbox"/> हाँ
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii) ]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii) ]	3ख	
	4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति		
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ	

	ड	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ड	
5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है--			
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क	
	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय अथवा जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ड	पूँजी रसीद, यदि कोई है	5ड	
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ड)	5च	
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूपान के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूँजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ड	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iia)]	6ड	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को अंशदान की रकम	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आई अधिनयम के अधीन गठित किसी निधि को अंशदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vक)]	6ट	
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	

	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण		
	त	प्रतिभूतियों में संव्यसहार की वाबत संयक प्रतिभूतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलि नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त		
	थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ		
	द	कोई अन्य नामंजूरी	6 द		
	ध	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)		6 ध	
7		धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क		
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख		
	ग	कारवार या वृति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए खर्च [37(1)]	7ग		
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ		
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुमानि के रूप में व्यय	7ङ		
	च	कोई अन्य शास्ति या जुमाना	7च		
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ		
	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज		
	झ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ		
	ञ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)		7ञ	
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) क) XVII- ख	अख		
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग		
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम XVII-ख	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40 (क) (ii क)]	अच		

		<p>छ धारा 40 (क) (ii ख) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम</p> <p>अछ</p>		
		<p>ज किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अंतर्गत अस्वीकार्य</p> <p>अज</p>		
		<p>झ कोई अन्य नामंजूरी</p> <p>अझ</p>		
		<p>ञ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)</p>	8अञ	
	आ	<p>किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम</p>	8आ	
9		<p>धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम</p>		
		<p>क धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम</p> <p>9क</p>		
		<p>ख धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य</p> <p>9ख</p>		
		<p>ग उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]</p> <p>9ग</p>		
		<p>घ किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यक्ति निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40 क (9)]</p> <p>9घ</p>		
		<p>ङ कोई अन्य नामंजूरी</p> <p>9ङ</p>		
		<p>च धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ)</p>	9च	
10		<p>किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम</p>		
		<p>क किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि</p> <p>10क</p>		
		<p>ख कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि</p> <p>10ख</p>		
		<p>ग दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि</p> <p>10ग</p>		
		<p>घ किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि</p> <p>10घ</p>		
		<p>ङ किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि</p> <p>10ङ</p>		
		<p>च छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि</p> <p>10च</p>		
		<p>छ रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम</p> <p>10छ</p>		
		<p>ज धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)</p>	10ज	
11		<p>पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अननुज्ञेय</p>		

	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	कर निर्धारिती द्वारा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा से किसी उधार अथवा ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाली सेवा तथा शर्तों के अनुसार होगी।	11घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च		
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज	
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मुल्य बर्धित कर / विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य करम	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम				13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15
16	धारा 14क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम				16
17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां नहीं <input type="checkbox"/> [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				17

भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (अज्ञापक, यदि धारा 44 खक के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है)	
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टाक	1
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3
	4	अंतिम स्टाक	4
	5	कमी / अधिक यदि कोई हो	5
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में	
	6	कच्ची सामग्री	
	क	आरंभिक स्टाक	6क
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ
	ङ	अंतिम स्टाक	6ङ
	च	प्राप्त तैयार माल	6च
	छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ
	ज	कमी / अधिक, यदि कोई हो	6ज
	7	तैयार माल / उपोत्पाद	
क	आरंभिक स्टाक	7क	
ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
ङ	अंतिम स्टाक	7ङ	
च	कमी / अधिक, यदि कोई हो	7च	

## विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

## अनुसूची वेतन

## वेतन से आय का ब्यौरा

वेतन

नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्रॉप डाउन दिया जाएगा)		नियोजक का टेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
नियोजक का पता		नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग)			1	
	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1क		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ख		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ग		
(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)					
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)			2	
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: सुनिश्चित करें कि यह कुल सकल आयक में उपर्युक्त(2) में शामिल है।)			3	
4	कुल वेतन (2 - 3)			4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)			5	
	क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)			6	

## अनुसूची गृह संपत्ति

## गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति

1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)			
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)			
सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	
I			
II			
[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टिन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
	I		
II			
क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य		1क
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग	
घ	योग (1ख + 1ग)	1घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)		1ङ
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)		1च
छ	1च का 30%	1छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज	
झ	योग (1छ + 2ज)		1झ
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया		1ञ
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)		1ट
2	संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य
			पिन कोड / जिप कोड 
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)			
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)			

	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता
I			
II			

[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं ]  (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो  <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में  <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
	I		
II			

क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)	2क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)	2च	
छ	1च का 30%	2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
झ	योग (2छ + 2ज)	2झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	2ञ	
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट	
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास *	3	
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)	4	

टिप्पण ▶	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।
टिप्पण ▶	किराएदार का पैन/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है
टिप्पण ▶	किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है

## अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सदृश कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से				
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv))	1			
2क	1 में सम्मिलित सदृश के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) / अनुसूची लाभ और हानि की क्रम संख्या 65iv/ कोई लेखा मामला न होने के मामले में	2क			
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख			
3	धारा 115खखच के अधीन अन्य / प्रभार्य / धारा खखख के अधीन प्रभार्य के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान में रखे गए लाभ और हानि के अनुसार आय / उधार प्राप्ति	क	वेतन	3क	
		ख	गृह संपत्ति	3ख	
		ग	पूजी अभिलाभ	3ग	
		घ	अन्य स्रोत	3घ	
		ङ	धारा 115खखच के	3ङ	
च	115खखख के अधीन	3च			
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ / 44कघक / 44कङ / 44ख / 44खख / 44खखक / 44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	4क			
4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्राप डाउन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप डाउन)	4ख			
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
क	फर्मों से आय का अंश	5क			
	एओपी / बीओआई से आय का अंश	5ख			
	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i	ग i			
	ii	ग ii			
	iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग		
घ	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)	5 घ			
6	शेष (1-2 क-2 ख-3 क-3 ख-3 ग-3 घ-3 च-4क-4ख-5 घ)		6		
7	धारा 115खखच के अधीन या धारा खखख के अधीन प्रभार्य आय / सम्बद्ध आय के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान रखे गए लाभ और हानि के अनुसार उधार व्यय	क	वेतन	7क	
		ख	गृह संपत्ति	7ख	
		ग	पूजी अभिलाभ	7ग	
		घ	अन्य स्रोत	7घ	
		ङ	धारा 115खखच के	7ङ	
		च	115खखख के अधीन	7च	
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित		8क		
8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखे में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देन और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 21)		8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)		9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)		10		
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण		11		
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घ ङ त का स्तंभ 6)	12i			
	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	12ii			
	कुल (12i + 12ii)	12iii			
13	अवक्षयण के ालए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)		13		
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओ आई का 6घ)	14			

15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 7 य)	15		
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 8कड)	16		
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 9 च)	17		
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क -ओ आई का 11ज)	18		
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19		
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		
21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35 कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ / 80-क के अधीन समझी गई आय	21		
22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	22		
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	23		
24	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यष्टि / हिंदू अविभक्त कुटुंब / स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है	24		
25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कमी (अनुसूची णञ के स्तम्भ 3क + 4छ)	25		
26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)		26	
27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27		
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28		
29	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35 ग ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन कटौतियों की रकम ( अनुसूची ड ध द की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35 ज ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)	29		
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओ आई का 8 ख)	30		
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओ आई का 10 ज)	31		

32	कटीती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	32		
33	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (अनुसूची णव के स्तम्भ 3ख + 4ङ)	33		
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)		34	
35	आय (13+26-34)		35	
36	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -			
	i धारा 44कघ (अनुसूची त और ठ के 61(ii) )	36i		
	ii धारा 44कघक (अनुसूची त और ठ के 62 (ii) )	36ii		
	iii धारा 44कङ (अनुसूची त और ठ के 63(ii) )	36iii		
	iv धारा 44ख	36iv		
	v धारा 44खख	36v		
	vi धारा 44खखक	36vi		
	vii धारा 44घक	36vii		(प्ररूप उ ग ड की मद प)
	viii कुल (36i to 36vii)		36viii	
37	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35 + 36viii)		37	
38	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है ( यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे ) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)		क 38	
	क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	38क		
	ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ख		
	ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ग		
	घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38घ		
	ङ नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ङ		
	च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	38च		
39	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृपि से संझी गई आय का अतिशेष [4ख-(38क+ 38ख + 38ग+ 38घ + 38ङ.)]		39	
आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना			
40	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)		40	
41	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		41	

	42	धारा 28 से 44क के अनुसार कटौतियां	42		
	43	अनुमानित कारबार से आय (40 + 41 - 42) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च उ के 6xi से अंक लें)	ख 43		
इ		धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
	44	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	44		
	45	धारा 28 से 44क के अनुसार परिवर्धन	45		
	46	धारा 28 से धारा 44क के अनुसार कटौतियाँ (धारा (i) 35 क छ, (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया है)	46		
	47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46)	47		
	48	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ	48		
	49	अनुमानित कारबार से आय (47 - 48) (यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें )	ग 49		
	50	धारा 35कछ की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयनित की जाए)	ग 50		
घ		कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 38+ ख 43+ ग 49)	घ		
ड		चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष			
	क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है )	मुजराई कारबार हानि	मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक नकारात्मक है )		(क 38)	
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 43)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 49)		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			
	v	मुजराई के बाद शेष हानि (i - iv)			
टिप्पण		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें			

**अनुसूची - संयंत्र और  
मशीनरी का अवक्षयण**

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण ( उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूजा व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं )

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
		15	30	40	45
2	दर (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान (स्तम्भ 15 के अलावा)				

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि  (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्या (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

**अनुसूची - अन्य आस्तियों पर  
अवक्षयण**

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत	
	2	दर (%)	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य								
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन								
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन								
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा( 3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)								
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन								
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन								

9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
13	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 के अलावा)							
14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)							
16	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्या (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

**अनुसूची - आस्तियों पर अवक्षयण का सार**

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी		
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागू)	1क	
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागू)	1ख	
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागू)	1ग	
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक ( अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ	

	ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)		1ड	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				
	क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागु)	2क		
	ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागु)	2ख		
	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv यथालागु)	2ग		
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))		2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागु)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागु)				4
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथालागु)				5
6	कुल अवक्षयण (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)				6

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर  
समझा गया पूंजी अभिलाभ

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
	ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)		1ड	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				

क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
घ	योग (2क+2ख+2ग)			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची घ ड क 17v)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)			4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)			5
6	कुल अवक्षयण (1ड +2घ+3+4+5)			6

## अनुसूची इ.एस.आर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती )

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iिक)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
Viii	35गगग			
ix	35गगघ			

x	योग			
टिप्पण- धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(ia) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2AA) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)				

**अनुसूची पूँजी अभिलाभ** पूँजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ ( एस टी सी जी ) ( निवासियों के लिए उप-मद 4 और 5 लागू नहीं हैं )							
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)							
	क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य			क i		
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य			क ii		
		iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(काi) के 1.05 गुणा से अधिक न होने की दशा में (काi), इन अंकों को (काi) के रूप में ले या अन्यथा (काii) में ]			क iii		
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ						
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii		
		iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय			ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)			ख iv		
	ग	शे-1 (क iii - ख iv)					1 ग	
	घ	धारा के अधीन कटौतियाँ 54 ख /54 ग / 54 छ /54 ज क ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )					1 घ	
	ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)					क 1 ङ	
	च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)						
		क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड
		टिप्पण ▶ पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194क के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।						
2	विक्रय गिरावट से							
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य			2 क	( प्ररूप 3 ज ड क का 5 )		
	ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति			2 ख	( प्ररूप 3 ज ड क का 6 (ड) )		
	ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 क -2 ख)					क 2 ग	
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ॥ के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है							

	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
		योग(i + ii + iii)	ख iv	
ग	शे-1 (3 क - ख iv)	3 ग		
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए ( केवल सार्थक मूल्य भरें )	3 घ		
ङ	साम्या शेयर या साम्या उनमूख ड च ( संदद एस टी टी ) पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ(3 क +3 घ)	क 3 ड		
4	अनिवासी के लिए जो च II नहीं हैं - किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों या लाभांश की विक्री से ( धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनमय के साथ गणना की जाय )	*		
	क	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एस टी टी ) संदत्त हैं	क 4 क	
	ख	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एस टी टी ) संदत्त नहीं हैं	A4 ख	
5	अनिवासियों के लिए -115 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों ( उपर क तीन से भिन्न् ) के विक्रय से			
	क	i	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें :-	
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर	i क
			विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख
			पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग
		ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii
	iii	कुल (i ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
योग (i + ii + iii)		ख iv		
ग	शे-1 (5 क iii - ख iv)	5 ग		
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए ( केवल सार्थक मूल्य भरें )	5 घ		

	ड	एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ ( उपर क 3 से भिन्न) +5 घ)		क 5 ड		
6	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से					
क	I	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करे				
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	क		
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
		ग	पूजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग		
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
	iii	कुल (iग + ii)	क iii			
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ					
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख i		
		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख ii		
		अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय		ख iii		
		योग (i + ii + iii)		ख iv		
ग	शे-1 (6क iii – ख iv)		6 ग			
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस युनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए ( केवल सार्थक मूल्य भरें )		6 घ			
ङ	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)		6ङ			
च	धारा के अधीन कटौति 54 ग /54 छ /54 छ क		6च			
छ	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी (6ग + 6घ + 6ङ + 6च)		क 6छ			
7	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि					
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं (यदि किसी भी राशि का उपयोग पूंजीगत लाभ लेखा से किया जाता है, तो कृपया अनुसूची डीआई के क्रम संख्या "ग" भरें)					
क्रम सं.	पूर्व वर्गों में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ग में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	
	i	2016-17	54घ/54छ/54छक	वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि	
	ii	2017-18	54ख			

ख धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 ज क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि											
लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ xii + ख)										क7	
8 लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(क8क+8कख+क8ग)										क8	
क लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15%की दर से प्रभार्य										क8क	
ख लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30%की दर से प्रभार्य										क8ख	
ग लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य										क8ग	
9 एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है											
क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. क 1 से क8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डी डीटी ए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) के नीचे]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
I											
II											
क डीटीए के अधीन एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि										क9 क	
ख डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम										क9 ख	
10 कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख + क 5 ड + क 6 छ + क 7 + क 8 - क 9क)										क 10	
ख दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एल टी सी जी) (उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 निवासियों में लागू नहीं है )											
1 भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)											
क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिकर पूर्ण मूल्य					क i				
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का पूर्ण मूल्य					क ii				
	iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(का) के (का) से 1.05 गुणा न होने की दशा में इस संख्या को (का) के रूप में ले या अन्यथा (का) ले]					क iii				
ख धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ											
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख ii				
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय					ख iii				
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)					ख iv				
ग	शे-1 (क iii - ख iv)					1 ग					
घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च/54 छ/54 ज क/54 ख के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					1 घ					

ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)						ख 1 ड
च	स्थावर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (देखें टिप्पण)						
	क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड
टिप्पण ▶	पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194अक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।						
2	विक्रय गिरावट से						
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य				2 क	( प्ररूप 3 CEA का 5 )	
ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति				2 ख	( प्ररूप 3 CEA का 6 (ड)	
ग	शे-1 (2 क - 2 ख)				2 ग		
घ	धारा 54इ ग /54च के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				2 घ		
ड	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (2 ग-2 घ)						ख 2 ड
3	बन्ध पत्र या डिवेन्चर से के विक्रय से ( सरकार द्वारा जारी पूँजी सूचीबद्ध बन्ध पत्रों भिन् )						
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य				3 क		
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ						
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii		
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय			ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)			ख iv		
ग	शे-1 (3 क - ख iv)				3 ग		
घ	धारा 54च के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				3 घ		
ड	बन्ध पत्रों या डिवेन्चर पर एस टी सी जी (3 ग - 3 घ)						ख 3 ड
4	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र ,जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है ((ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर ,के विक्रय से						
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य				4 क		
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ						
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii		
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय			ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)			ख iv		
ग	शे-1 (4 क - ख iv)				4 ग		

	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4 घ	
	इ	उपर ख4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग - 4घ)		ख 4इ
5	किसी कंपनी में साम्यशेयरों के विक्रय या साम्यउन्मुख निधि की युनिटों या किसी कारबार न्यास की युनिट की विक्री जिसमें धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है			
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112 क के कॉलम 14	5क क	
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	5ख	
	ग	ऊपर ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (5क - 5ख)		ख5ग
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिबेन्चर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)			
	क	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी	6क	
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौति ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	6ख	
	ग	शेयर या डिबेन्चर पर एलटीसीजी (6क - 6ख)		ख6ग
7	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या युनिटों या शून्य कूपन बंधपत्र जहां धारा 112(1) के अधीन परन्तुक लागू है (सूचीकरण कायदे के बिना 10 प्रतिशत की दरपर कराधेय (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी का व जी डी आर के विक्रय से			
	क	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करे		
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	i क	
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii कुल (i ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शे-न (क iii - ख iv)	7 ग	
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )	7 घ	
	इ	अनिवासियों के मामले में उपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (7ग - 7घ)		ख 7इ
8	अनिवासियों के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुख निधि के युनिटों या किसी न्यास की युनिटों का विक्रय जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है।			
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (115कघ(1)(b)(iii) परन्तुक के कॉलम 14 )	8क	

	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख		
	ग	ऊपर ख8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (8क - 8ख)			ख8ग
9	अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 7क के अधीन विकल्प दिया गया है)				
	क	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी ( सूचीकरण के बिना गणना की गई)	9 क		
	ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 ख		
	ग	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9 क - 9 ख)			ख 9 ग
	घ	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी	9 ग		
	ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 ङ		
	च	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9घ - 9 ङ)			ख 9 च
10	उपर जहां ख -1 से ख -9 तक लागू नहीं है वहा आस्तियों के विक्रय से				
	क	i आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करे			
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर की पूर्ण मूल्य	i क		
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
		iii कुल (i ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii		
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शे-1 (10 क iii - ख iv)	10 ग		
	घ	धारा 54 घ / 54 च / 54 छ / 54 ज के अधीन कटौती (मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) below)	10 घ		
	ङ	उपर ख 10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (10ग - 10घ)			ख 10 ङ

11	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व ब-ओं के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस ब-ों के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?				
	क	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			
	(यदि किसी मामले में कोई राशि पूंजीगत अभिलाभ के उपयोग में नहीं लाई जाती है तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम सं. "ग" भरें।)				

क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	
			वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि		
i	2016-17	54/54घ/54छ/54छक				
ii	2017-18	54ख				
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि					
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+xii+ख)					ख11	
12	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1 +ख12क2+ख12ख)					ख12
क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य				ख12क1	
क2	धारा 112 के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य				ख12क2	
ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य				ख12ख	

13	एलटीसीजी की रकम जो मद ख1 से ख12 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है										
क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. ख 1 से ख 12 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर ((6) या (9) के नीचे))		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
I											
II											
क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									ख13क	
ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एलटीसीजी की कुल रकम									ख13ख	
14	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख1ड +ख2ड +ख3ड +ख4ड + ख5घ + ख6ग + ख7ड + ख8घ + ख9ग + ख9च + ख10ड + ख11 + ख12 - ख13क )									ख14	
ग	“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख 14) ( शून्य के रूप में ख 14 ले यदि हानि है)									ग	
घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना										
1	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54ङग /54 च/54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामलों में निम्नलिखित ब्यौरे दें										
क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती										
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					क i	दिन/मास/वर्ष				
ii	नये आवासीय घर की लागत					क ii					
iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख					क iii	दिन/मास/वर्ष				
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					क iv					

	v	दावाकृत कटौती की रकम	क v	
ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नये कृषि भूमि की लागत	ख ii	
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ख v	
ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत	ग ii	
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ग iv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v	
घ	धारा 54ङ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घ ii	
	iii	विनिधान की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की रकम	घ iv	
ङ	धारा 54च के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ङ i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नये आवासीय घर की लागत	ङ ii	
	iii	नए आवासीय घर के क्रय / विनिर्माण की तारीख	ङ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ङ iv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ङ v	
च	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	च i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	च ii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	च iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	च iv	

	v	दावाकृत कटौती की रकम	चv	
	छ	धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छi	दिन/मास/वर्ष
	ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छii	
	iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	छiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	छiv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	छv	
	ज	धारा 115च के अधीन दावाकृत कटौती (अनिवासी भारतीय के लिए)		
	i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख	ज i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र	ज ii	
	iii	विनिहित की तारीख	ज iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की रकम	ज iv	
	झ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च + 1 छ + 1ज)		
	1 झ			

2 धारा 54 छ ख की अधीन कटौती की दशा में कम्पनी का पेन भरे

उ	चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ग की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-12 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभाय रकम के सिवाय)									
क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरे)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात् चालू वर्ग का अतिशे-1 पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली पूंजी हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब शमन किए गए अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7ग*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग*+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)	(आ1ग*+ आ2ड* + आ3ड*+ आ6ग*+ आ7च*+ आ10ड*+ आ11*+ आ12ख*)	आ113ख	
ii	अल्पकालिक पूंजी	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)							

iii	अभिलाभ	30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv	लागू दर		(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*)							
v	डीटीएए दरें		अ9ख*							
vi		10%	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग*+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)							
vii	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	20%	(आ1ग*+ आ2ड* + आ3ड* + आ6ग*+ आ9च*+ आ10ड*+ आ11* + आ12ख*)							
viii	डीटीएए दरें		आ13ख							
ix	कुल हानि मुजरा (ii+iii+iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजरा के पश्चात् शे-न हानि (i - ix)									
इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े(A1e* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (क1 से क 9) में एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।										
इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े(B1e* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (ख1 से ख13) में एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।										
ऊ	पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख			15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)		
1	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									
2	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									
3	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									
4	डीटीएए दरों पर कर से प्रभाय लघु अवधि पूँजी अभिलाभ अनुसूची वीएफएलए की मद 6 का मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों									

5	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 x से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
6	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 xi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
7	डीटीएए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घावधि पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें					
टिप्पण	कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है।					





## अनुसूची-अन्य स्रोत

## अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)		1	
क	लाभांश, सकल (धारा 10(34) और धारा 10(35)) के अंतर्गत छूट नहीं		1क	
ख	ब्याज, सकल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv)		1ख	
i	बचत खाते से	खा		
ii	जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खाii		
iii	आय-कर प्रतिदाय से	खाiii		
iv	पास श्रु आय की प्रकृति की आय में	खाiv		
v	अन्य	खv		
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		1ग	
घ	धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घाii + घाiii + घाiv + घाv)		1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा		
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाii		
iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाiii		
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv		
v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाv		
ङ	कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति	राशि	
	1	परिवार पेंशन		
	2			
	आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है।			

2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रम सं.1 से संबंधित)			2	
क	धारा 115खख के अधीन लाटरी, वर्ग पहली आदि से जीत से आय			2क	
ख	धारा 115खखङ के अधीन प्रभार्य आय (खि + खii + खiii + खiv + खv + खvi)			2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खि			
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii			
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii			
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv			
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi			
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			2ग	
	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (घ/से घxviii का योग)			2घ	
i	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी जो धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य है, द्वारा प्राप्त लाभांश		घा		
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्थान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज		घii		
iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज		घiii		
iv	धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य		घiv		
v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य		घv		
vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य		घvi		
vii	यूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य		घvii		



	II											
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख एवं 2घ के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)											
	क (i)	अवधायण (परिवार पेंशन के अलावा के मामले में)					3क(i)					
	ख(ii)	धारा 57(ii) के अंतर्गत कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में)					3क(ii)					
	ग	अवधायण(केवल तभी उपलब्ध जब "अनुसूची ओएस" की 1 ग में आय दी गई हो)					3ख					
	घ	भ्योग					3ग					
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम										4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ										5	
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय [1 (डीटीए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) - 3 + 4 + 5] (यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 3xi को अंक ले जाए)										6	

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) ( 2 + 6) ( यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें )										7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय											
	क	प्राप्तियां					8क					
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां					8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम					8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ					8घ					
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्टि करे)					8ङ					
9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)										9	
10	प्रौद्भूत / अन्य स्रोतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना											
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15 / 6 तक	16 / 6 से 15 / 9 तक	16 / 9 से 15 / 12 तक	16 / 12 से 15 / 3 तक	16 / 3 से 31 / 3 तक					
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)					
	1	धारा 115खखक के अधीन लाभांश										
	2	लाटरियों, क्रासवर्ड वर्ग पहेली, दौड़ों, खेलों, जुआं,										

	सट्टेबाजी जो धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट है, में जीत के माध्यम से आय						
<b>टिप्पण -</b>	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें						

**अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे**

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		(इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)				
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची ज त का 4)	(अनुसूची ख त की मद ड का 2v)	(अनुसूची ग द का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची ध का 6)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची ज त का 4)				
iv	कारबार से आय ( विनिर्दिष्ट कारबार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची ख त का 38)				
v	सट्टाबाजी से आय	( अनुसूची ग छ की मद ड का 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	( अनुसूची ग छ की मद ड का 3 iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	( अनुसूची ग छ की मद ड का 9 ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9iv)				
x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vii)				
xiii	डीटीए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9viii)				

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची णध का 6)				
xv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची णध का 8 ड)				
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची णध का 2च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

## अनुसूची बीएफएलए

पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरें

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	अनुसूची ग म ठ क 5 के अनुसार	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		(चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)				
		1	2	3	4	5
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख / च गृह संपत्ति हानि)			
iii	कारबार आय (सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख / च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि)			
iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v )	(ख / च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि )			
v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi )	(ख / च याविनिर्दिष्ट कारबार से हानि )			
vi	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग म ठ क का 5 vii )	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि )			
vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii )	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि )			
viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix )	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि )			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x )	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि )			

x	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि )			
xi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि )			
xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि )			
xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
xiv	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(घुड़ दौड़ों से ख/च हानि)			
Xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से कराधेय आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)				
xvi	अग्रनित मुजरा की गई हानि का योग (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)					
xvii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii+ 5xiii+ 5xiv + 5xv)					

अनुसूची सीएफएल		भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे													
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता / मास / वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि			अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि	अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	लघुअवधि पूंजी हानि			दीर्घअवधि पूंजी हानि			दौड़ के घोड़ों के स्वामस्वि और अनुरक्षण से हानि
			सामान्य	पीटीआई	कुल (4ग=4क+4ख)				सामान्य	पीटीआई	कुल(8ग=8क+8ख)	सामान्य	पीटीआई	कुल(9ग=9क+9ख)	
1	2	3	4क	4ख	4ग	5	6	7	8क	8ख	8ग	9क	9ख	9ग	10
i	2010-11														
ii	2011-12														
iii	2012-13														
iv	2013-14														
v	2014-15														
vi	2015-16														
vii	2016-17														
viii	2017-18														
ix	2018-19														
x	2019-20														
xi	Total of earlier year losses b/f														
xii	Adjustment of above losses in Schedule BFLA				(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)							(अनुसूची बीएफएलए का 2xii)
xiii	2020-21(Current year losses to be carried forward)				(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii )	(अनुसूची बीएफएलए का 3xviii)	(अनुसूची वीपी का ख43, यदि v. ड)	(अनुसूची वीपी का ग 49, यदि v. ड)			(2x + 3x + 4x) अनुसूची सीजी के मद ड )			(2x + 3x + 4x) अनुसूची सीजी के मद ड )	(अनुसूची ओएस का 8ड यदि - वीई)
xiv	Total loss Carried forward to future years														

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii							
iv							
v	योग		(ख च ठ क का 3xvi)			(ख च ठ क का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव $I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X$ (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव $(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)$ (यदि नकारात्मक हो)	

## अनुसूची - 10कक

## धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती

विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
क्र.स	उपक्रम	वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन / सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.स	कटौती की रकम
क	उपक्रम संख्या 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)
ख	उपक्रम संख्या 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)
ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)			ग
(यदि धारा 10कक के अंतर्गत कटौती का दावा किया जाता है, तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम सं. ख भरें )				

## अनुसूची 80छ

## धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे

क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में रकम	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						

आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
		नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	कुल				
<b>ड कुल दान (का+ ख+ ग+ घ)</b>					

**अनुसूची द क** अनुसंधान संगमों को संदान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (iiक) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतियां संदान की पात्र रकम]

आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	संदान की रकम			संदान की पात्र रकम
		नकद संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	कुल				

**अनुसूची - 80झक** धारा 80झक के अधीन कटौतियां

क	धारा 80झक(4)(ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ख	धारा 80झक(4)(iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विशेष आर्थिक जोनों में औद्योगिक पार्क)	ख 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		ख 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ग	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	ग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		ग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
घ	धारा 80झक(4)(v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80झक (4)(vi) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभ की बाबत कटौती (पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण ने ट बर्क)	घ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		घ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ड	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियां (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2)				ड

**अनुसूची-80- झख**

धारा 80झख के अधीन कटौतियां

धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(4))	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)	
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)		
	ख	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(4))	ख 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)	
			ख 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)	
	ग	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की	ग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)	

	बाबत कटौतियाँ (धारा 80झख(5))	ग2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
घ	मल्टी प्लैक्स थियेटरों की बाबत कटौतियाँ (धारा 80झख(7क))	घ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
		घ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
ङ	पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियाँ (धारा 80झख( 7ख))	ङ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
		ङ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
च	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियाँ (धारा 80झख(9))	च1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		च2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
छ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80झख(10))	छ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		छ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80झख(11))	ज1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ज2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
झ	पड्डुलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ (धारा 80झख(11क))	झ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		झ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ञ	खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती (धारा 80झख(11 क))	ञ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ञ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ट	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ (धारा 80झख(11 ख))	ट 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ट 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ठ	अन्य अपवर्जित क्षेत्रों के अलावा किसी क्षेत्र में किसी अस्पताल को चलाने और व्यवस्थित करने में लगे एक उपक्रम के मामले में कटौती धारा 80झख(11ग)	ठ1	उपक्रम संख्या 1	(प्ररूप 10 गगख ग का 11(v))
		ठ2	उपक्रम संख्या 2	(प्ररूप 10 गगख ग का 11(v))
ड	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 से ठ2 का योग)			

## अनुसूची-80- झग और 80झड

## धारा 80झग और 80झड के अधीन कटौतियाँ

धारा 80झख के अधीन कटौतियाँ	क	सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ख	हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	ग	उतरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
			ग2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	घ	पूवोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			
	घक	असम	घक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घख	अरुणचल प्रदेश	घख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घग	मणिपुर	घग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
घघ2			उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घड	मेघालय	घड 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घड 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	

घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम संख्या 1	( उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घच2	उपक्रम संख्या 2	( उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम संख्या 1	( उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घछ2	उपक्रम संख्या 2	( उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियों ( घ का 1 से घछ 2 का योग)				घज
ड	धारा 80झग के अधीन कुल कटौतियों (क + घ+ ग + घज)				ड

## अनुसूची-6 क

## अध्याय 6 क के अधीन कटौतियों

1	भाग ख- भ ख कतिपय संदार्यों की बावत कटौती				
	कृपा आपने अध्याय v।क के भाग ख के अंतर्गत किसी कटौती का दावा करने के प्रयोजन हेतु 01.04.2020 से 30.06.2020 के मध्य कोई निवेश/जमा/भुगतान किया है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं(यदि हां, तो कृपाया अनुसूची डीआई के क्रम सं. "क" भरें)				
क	80ग		ख	80गगग	
ग	80गगघ(1)		घ	80गगघ (1ख)	
ङ	80गगघ(2)		च	80घ	
छ	80घघ		ज	80घघख	
झ	80ङ		ञ	80ङङ	
ट	80ङङक		ठ	80ङङख	
ड	80छ		ढ	80छछ	
ण	80छछग				
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से त का योग)					1
2	भाग ग - कतिपय आय / अन्य कटौती की बावत कटौती				
	त	80- झक	( अनुसूची 80 झक का ड )		
	थ	80- झकख			
	द	80- झख	( अनुसूची 80 झख का ड )		
	ध	80- झखक			
	न	80झग/ 80झङ	(अनुसूची 80 झग/80झङ का ड)		
	प	80ञक			
	फ	80ञकक			
	ब	80 थथख			
	भ	80 ददख			
भाग ग के अधीन कुल कटौती (त से भ का योग)					2
3	भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती				
म	80 ननक		य	80ननख	
र	80प				
भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (म, य और र का योग)					3
4	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियों (1 से 3 का योग)				4

## अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर

## धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय		1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन			
	क	शीर्ष ई के अधीन " कतिपय आय की वावत कटौतियों "अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क		
	ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख		
	ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवधयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग		
घ	कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग)	2घ			
3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ)		3		
4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5औ (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)		4		

## अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा

## धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2020-21 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर				1	
2	निर्धारण वर्ष 2020-21 (भाग-ख-कुल कर आय का 4) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर				2	
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें				3	
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा		चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ) = (ख3)-(ग)
			सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) उ(ख1)-(ख2)	
	I	2013-14				
	ii	2014-15				
	iii	2015-16				
	iv	2016-17				
	V	2017-18				
	Vi	2018-19				
	Vii	2019-20				
	Viii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)				
	ix	योग				
5	वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट				5	
6	पञ्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट				6	

**अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय**

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यक्त बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल है। (अव्यक्त बालक की आय यदि प्रति बालक 1500 रुपये से अधिक है तो शामिल की जाय)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है
1					
2					
3					

**अनुसूची विशेष दर विशेष दरों पर कर पर प्रभाय आय (कृपया कर की दर के लिए अन्यदेश संख्या 7 देखें)**

क्रम सं.	धारा	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस का 2g iii)	(अनुसूची ओएस का 2iv)
2	111 क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनितों पर एसटीसीजी जिस पर जहा एसटी पेय संदत्त है )	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची ख च ठ क के 5 vi का भाग)	
3	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफii एस के लिए एसटीसीजी जहा एसटीसीजीसंदत्त नहीं है )	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ख च ठ क के 5 vii का भाग) भाग)	
4	112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों / यूनितों पर एल ट ाळसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5 x का भाग)	
5	112(1) ( ग)(iii) ( गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल ट ाळसीजी )	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5 x का भाग)	
6	115 कग (बंधपत्रों / जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)	
7	115क ग (विदेशी करसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जीडीपी आर से अनिवासी की आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण ध के 2घ ix का भाग)	
8	115 क ग क (जीडीआर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल ट ाळसीजी ) एल ट ाळसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 2घ ix का भाग)	
9	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफ ii एस के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)	
10	115 ड (विनिर्दिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारती के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)	
11	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची ख च ठ क का 5x का भाग)	
12	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एसटीटी संदत्त है के विक्रय पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ग छ के ख 5 च और ख 8 च)	
13	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5ix का भाग)	
14	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एलटीसीजी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5xii का भाग)	
15	115खख (ला ट री, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण ध के 2क का भाग)	
16	115खखक (देशी कंपनी से लाभांश जो आय 10 लाख रु0 से अधिक है)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण ध के 2घxv का भाग)	
17	115खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ण ध के 2ख)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची खत का 3ड)	
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची णध का 2घxvi)	
19	115खखछ(कार्वन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)				
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची खत का 3च)	
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची णध का 2घxvii)	
20	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयलि ट ाळ से अनिवासी की आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण द के 2घviii का भाग)	

**विशेष दर**

21	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य खेतों से आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ण ध के 2च का भाग)
22	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 15% की दर पर प्रभार्य होगा	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5vi का भाग)
23	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा 30% की दर पर प्रभार्य	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5vii का भाग)
24	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)
25	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य			(अनुसूची ख च ठ क के 5ix का भाग)
26	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्य होगा	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5xi का भाग)
26	अन्य खेतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ण ध का 2ड)
<b>योग</b>				

### अनुसूची - आईएफ उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक	क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां/नहीं)	फर्म के लाभ शायरों की प्रतिशतता	लाभ में शायर का रकम		31 मार्च का फर्म में पूंजी अतिशेष
					i	ii	
1							
2							
3							
4							
5							
6	<b>योग</b>						

### अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)

ब्याज	1	2	3	4	5			
	ब्याज से आय							
	2	घरेलु कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रुपए से अनधिक रकम)						
	3	i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i					
		ii कृषि पर उपगत व्यय	ii					
		iii पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेमित कृषि हानि	iii					
		iv नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं.. 39)	iv					
	v	वर्ष i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (		3				
	v	5लाख रु. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया ब्यौरे भरें)						
		क जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है						
		ख एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश						
		ग क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)						
		घ क्या कृषि भूमि सिंचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)						
	4	अन्य छूट प्राप्त आय (नावालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		4				
	5	डीटीएए के अनुसार आय जो कर प्रभार्य नहीं है						
		क्रम. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	दिश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रायित किया गया है (हां/नहीं)

I								
II								
III	डीटीए से कुल आय जो कर प्रभार्य नहीं है						5	
6	कोई और आय कर प्रभार्य नहीं हैं, (अनुसूची पीटीआई)						6	
7	<b>योग (1+2+3+4+5+6)</b>						7	

## अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115 ,पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के व्योरे

पास के माध्यम से आय

क्रम	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि(7-8)	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती ,यदि कोई हों				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1.	(ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			i	गृह संपत्ति								
				ii	पूँजी अभिलाभ								
					क	अल्पकालिक अवधि							
					का	धारा 111क							
					काii	अन्य							
					ख	दीर्घकालिक अवधि							
					खा	धारा 112क							
					खाii	धारा 112क के अलावा अन्य							
				iii	अन्य खोत								
					क	लाभांश (धारा 115-ओ में संदर्भित)							
					ख	अन्य							
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी								
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन							
					ख	धारा .....के अधीन							
					ग	धारा.....के अधीन							
				2.				i	गृह संपत्ति				
ii	पूँजी अभिलाभ												
	क	अल्पकालिक अवधि											
	का	धारा 111क											
	काii	अन्य											
	ख	दीर्घकालिक अवधि											
	खा	धारा 112क											
	खाii	धारा 112क के अलावा अन्य											
iii	अन्य खोत												
	क	लाभांश (धारा 115-ओ में संदर्भित)											
	ख	अन्य											
iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी												
	क	धारा 10(23चखख) के अधीन											
	ख	धारा .....के अधीन											
	ग	धारा.....के अधीन											

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिष्ट करें ।

अनुसूची टी.पी.एस.ए		धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर के ब्यौरे						
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	"क" पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर (2घ-3)						
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाख का नाम						
	7	बीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम संख्या							
9	जमा की गई राशि							

अनुसूची आय के विदेशी स्रोत			भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)						
क्र. सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख - ट ाळआई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डी ट ाळएए का सुसंगत अनुक्षेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
				योग					
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
				योग					
टिप्पण ▶			कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।						

## अनुसूची टि.आर

भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत

1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बावत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत ( प्रत्येक देश की बावत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है ( 90, 90क या 91 को विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
		योग			
2	उस देश की बावत जहां डीटीए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत ( धारा 90 / 90 क) ( 1 (घ) के योग का भाग)				2
3	उस देश की बावत जहां डीटीए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत ( धारा 91)(( 1 (घ) के योग का भाग)				3
4	क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय / जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे दें				4
	क	कर प्रतिदाय की रकम	ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई हैं	
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।					

## अनुसूची वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
आ2	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										

क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ट्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
<b>अ3</b>	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
<b>अ4</b>	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
<b>ख</b>	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या

ग सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के व्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के व्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के व्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।												
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो ।											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोद्भूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है ।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
<b>टिप्पण</b>	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। दृष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तिजिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्तिसे कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।											

## अनुसूची 5क

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति या पत्नी का नाम

पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार

	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्राप्तियां	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए टाळडीएस की रकम प	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टाळडीएस
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	कारबार या वृत्ति				
3	पूंजी अभिलाभ				
4	अन्य स्रोत				
5	योग				

## अनुसूची कठ

वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अंतर्गत से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख रु0 से अधिक है, लागू होती है)

आस्ति और दायित्व के विवरण

क	स्थावर आस्ति का ब्यौरा			
क्रम सं.	विवरण	पता	पिन कोड	रकम (लागत) रु. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)				
(ii)				
ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा			
क्रम सं.	विवरण			रकम (लागत) रु. में
(1)	(2)			(3)
(i)	आभूषण, बुलियन आदि			
(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति			
(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान			
(iv)	वित्तीय आस्ति		रकम (लागत) रु. में	
	(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा रशियां)		
	(ख)	शेयर और प्रतिभूतियां		
	(ग)	बीमा पॉलिसी		
	(घ)	ऋण और दिए गया अग्रिम धन		
	(ङ)	हाथ नकदी		
ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज			

क्रम सं.	फर्मों / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारिता का विनिवेश
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)			
(ii)			
घ	आस्तियों (क+ख+ग) के संबंध में दायित्व		

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

अनुसूची डी.आई

निवेश का ब्यौरा

क) अध्याय VIक के तहत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ निवेश / जमा / भुगतान		
धारा	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कटौती की पात्र राशि (अनुसूची VIक के अनुसार- भाग ख- कतिपय भुगतानों के संबंध में कटौती)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच किए गए निवेश / व्यय के फलस्वरूप कटौती
(1)	(2)	(3)
80ग		
80गग		
80गगघ(1)		
80 गगघ(1ख)		
80 गगघ(2)		
80घ		
80 घघ		
80 घघख		
80ङ		
80ङङ		
80 ङङक		
80ङङख		
80छ		
80छछ		
80छछक		
80छछग		
कुल		
ख) धारा 10कक के अंतर्गत कटौती की पात्र राशि		

अनुसूची 10कक के अनुसार अंडरटेकिंग	अनुसूची 10 कक के अनुसार कटौती की राशि	एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार जारी अनुमोदन के पत्र की तारीख	क्या धारा 10कक के अंतर्गत कटौती का दावा करने का क्या यह पहला वर्ष है और क्या 01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच शर्तों का पालन किया गया है [हाँ/नहीं]
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडरटेकिंग 1			
अंडरटेकिंग 2			
अंडरटेकिंग 3			
कुल			

ग) धारा 54 ये 54छख के अंतर्गत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ भुगतान / अधिग्रहण / खरीद / निर्माण

## दीर्घावधि पूंजीगत लाभ

धारा	पूंजीगत लाभ लेखा में से उपयोग गई राशि (अनुसूची सीजी की क्रम सं. ख 11 के अनुसार)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच उपयोग की गई राशि
(1)	(2)	(3)
54		
54ख		
54घ		
54च		
54छ		
54छक		
54छख		
कुल		

## लघु अवधि पूंजीगत लाभ

धारा	पूंजीगत लाभ लेखा में से उपयोग की गई राशि (अनुसूची सीजी की क्रम सं. 7क के अनुसार)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच उपयोग की गई राशि
(1)	(2)	(3)
54ख		
54घ		
54छ		
54छक		
कुल		

अनुसूची जीएसटी		जीएसटी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना	
जी एस टी का ब्यौरा	क्रम. सं.	जीएसटी आई एन संख्या	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण		कृपया प्रत्येक जीएसटी आई एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।	

## भाग - ख

## भाग ख - कुल आय

## कुल आय की संगणना

कुल आय	1	वेतन (अनुसूची ध का 6)	1	
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2	
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
	i	स ट त ट ों के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ. का क38)	3i	
	ii	स ट त ट ों के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3ii	
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii	
	iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूची ख त के ड 3 और 3 च)	3iv	
	v	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3v	
	4	पूंजी अभिलाभ		
	क	अल्पकालिक		
i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूची ग छ की मद ड का 9 ii)	क i		
ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूची ग छ की मद ड का 9 iii)	क ii		
iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची ग छ की मद ड का 9iv)	क iii		
iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची ग छ के मद ड का 9v)	क iv		
v	अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii+ क iv)	4 क v		
ख	दीर्घकालिक			

	i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vi)	खा		
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vii)	खाii		
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची ग छ के मद ड का 9 viii)	खाiii		
	iv	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii + खाiii) (यदि हानि है तो शून्य भरे )	4खाiv		
ग	कुल पूँजी अभिलाभ (4 क v + 4 ख iv) (यदि हानि है तो शून्य भरे )				4 ग
5	अन्य स्रोतों से आय				
	क	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ण घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क		
	ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूचि ण ध का 2)	5 ख		
	ग	घुडदोड के स्वामिस्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूचि ण ध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे )	5 ग		
	घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे )			5 घ
6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3v +4 ग +5 घ)				6
7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)				7
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv)का योग + 5ख + 3iv)				8
9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रनीत हानियां (अनुसूची खचठ क के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)				9
10	सकल कुल आय (8-9) (और अनुसूची वीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (j) से (xiv) का योग + 5ख + 3iv)				10
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है				11
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ [अनुसूची 6क का (1+3) और (बीएफएलए का i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5) तक सीमित ]		12क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित ]		12ख	
	ग	कुल (12क + 12ख) (10-11) तक सीमित)		12ग	
13	धारा 10 क क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 क क का ग)				13
14	कुल आय (10 -12ग -13)				14
15	आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (j) का योग)				15

16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय / कोई अन्य आय (अनुसूची डआई का 3)	16	
17	कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)	17	
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गचठ की पंक्ति xii का योग)	18	
19	धारा 115जग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)	19	

## भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व

## कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	क	धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित झतर कर का 4)	1क	
	ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख	
	ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर	1 ग	
	घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर ( 1क +1ख +1 ग )	1 घ	
2	कुल आय पर संदेय कर			
	क	भाग ख- ट ाळ आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क	
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची द झ का (ii) का योग)	2ख	
	ग	कृषि आय पर रिबे ट (लागू होगा यदि (भाग ख- ट ाळ आई कुल आय का(14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग	
	घ	कुल आय पर संदेय कर ( 2क + 2ख- 2ग)	2घ	
	ड	धारा 87क के अधीन रिबे ट	2ड	
	च	रिबे ट के पश्चात संदेय कर ( 2घ - 2 ड)	2च	
	छ	अधिभार	2छ	
	i	अनुसूची धझ के 17(i) का @25 प्रतिशत	2छ i	
	ii	अनुसूची एस आई की 2 (ii), 3 (ii), 9 (ii), 12 (ii), 22 (ii), 24 (ii) के अनुसार 10%या 15% की दर पर	2छ ii	
	iii	[(2च) - (अनुसूची एसआई के 17(ii), 2(ii),3(ii), 9(ii), 12(ii), 22(ii), 24(ii) )]पर	2छ iii	
	iii	कुल (i + ii + iii)	2छiv	
	ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छ iv)	2ज	
	झ	कुल कर दायित्व (2च + 2छiv + 2झ)	2झ	

3	कुल कर संदेय (1घ और 2ii से उच्चतर)	3	
4	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा ( लागू यदि 2ii 1 घ से अधिक है ) (अनुसूची क ड न क का 5)	4	
5	धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3 - 4)	5	
6	कर राहत		
	क धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क	
	ख धारा 90 या धारा 90क ( अनुसूची ल द का 2 )	6ख	
	ग धारा 91 ( अनुसूची ल द का 3 )	6ग	
	घ कुल (6क + 6ख + 6ग)	6द	
7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) ( शून्य भरे यदि नकारात्मक है )	7	
8	ब्याज और फीस देय		
	क विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क	
	ख अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख	
	ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग	
	घ आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ	
	ड कुल ब्याज और फीस देय (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ड	
9	औसत दायित्व (7 + 8ड)	9	
10	संदत्त कर		
	क अग्रिम कर (17 क के स्तंभ 5 से)	10क	
	ख स्रोत पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख	
	ग टीसीएस (17घ का स्तंभ 7)	10ग	
	घ स्वतः निर्धारण कर (17केस्तंभ 5 से)	10घ	
	ड संदत्त कुल कर (10क + 10ख + 10ग)	10ड	
11	संदेय रकम (यदि 10ड से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	11	
12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) ( प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा )	12	

	13	क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)				हां या नहीं का चयन करें
	i.	क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)				
बैंक खाता		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं) एक खाता पर निशान लगाएं।
		i				
		ii				
		<p>नोट:</p> <p>1) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए</p> <p>2) रिफंड के मामले में, रिफंड क्रेडिट के लिए कई खातों का चयन किया जाता है तो विवरणी के प्रसंस्करण के बाद सीपीसी द्वारा तय किए गए किसी एक खाते में रिफंड का क्रेडिट किया जाएगा</p> <p>आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं</p>				
	ii.	ख) गैर-निवासी, जो आयकर रिफंड का दावा करते हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं				
		क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएएन
		1.				
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय				
		(i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
		(ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या				
		(iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)				

15 यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम	16	

17 अनुसूची-आयकर

क आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
----------	----------	------------	--------------------------------------	-------------------	-----------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	<b>टिप्पण ▶</b> भाग ख - टाळट ाळआई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।				
<b>ख</b>	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या ( टैन )	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	<b>टिप्पण ▶</b> कृपया भाग ख - टाळट ाळआई के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का योग प्रविष्ट करें।				

ग	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख / 16ग के अनुसार]											
क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 35 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार संख्या (यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरारदार या क्रेता का पैन/ आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस	मौजूदा वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टीडीएस कटौती)	इस वर्ष में टीडीएस दावा किया जा रहा है (केवल तभी यदि तभी यदि तत्स्थानी आय इस वर्ष कर के लिए प्रस्ताव की जा रही है	दी गई संबंधित परिग्रह	टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणीत किया जा रहा है।				
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 35ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 35 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

